कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात

पत्रांक / बेसिक–मान्यता / 21207-12 / 2018–19 दिनांक 23-2-19

प्रबन्धक,
सी0एच0एस0 एजूकेशन सेन्टर,
जैनपुर, अकबरपुर, कानपुर देहात।
द्वारा संचालित संस्था – दिव्या मेमोरियल स्कूल समिति, ग्राम मर्दनपुर जिला कानपुर नगर।

विषय :–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 11के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय / महोदया,

आपके उच्च प्राथमिक स्तर अंग्रेजी माध्यम के मान्यता आवेदन दिनांक 30.08.2018 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण निर्देश तथा मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 21.02.2019 में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदनोपरान्त, मैं सी0एच0एस0 एजूकेशन सेन्टर, जैनपुर, अकबरपुर, कानपुर देहात को दिनांक 23.02.2019 से दिनांक 22.02.2022 तक तीन वर्षो की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए (अंग्रेजी माध्यम) अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देती हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरे किये जाने के अध्यधीन हैः–

1–विद्यालय का संचालन अग्निशमन का पूर्णता प्रमाण पत्र / स्थायी प्रमाण पत्र एवं वार्षिक नवीनीकरण प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये अन्यथा असुरक्षित भवन का उपयोग विद्यालय संचालन हेतु अवैधानिक होगा।

2–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

3–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

4–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

5–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय का एक प्रथक खाता रखेगा।

6–सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रह नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

7–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

8–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल –64320 वर्गफिट
कुल निर्मित क्षेत्र –27700 वर्गफिट
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल –30000 वर्गफिट
कक्षा–कक्षों की संख्या –13

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय –सह–भंडागार के लिए कक्ष –02
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय –02यूनिट
पेयजल सुविधा –हैण्डपम्प
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुँच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेल कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – है।

10–विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगीं।

11–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है

12–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

13–स्कूल को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगत या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

14–विद्यालय के लेखाओं का किसी चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

15–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या–2018–19(009)फरवरी 2019(अंग्रेजी माध्यम–उच्च प्राथमिक स्तर) के0डी0 कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

16–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किया जाये।

17–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण आदि कोई हो, सुनिश्चित किया जाए।

18–संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त

19–विद्यालय में शिक्षण कार्य टी.ई.टी. उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई गोपन प्रबन्धतन्त्र द्वारा पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होगें।

20–स्कूली वाहनों में निर्धारित मानकों का अनुपालन शत्–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये।

21–बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।

22–पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क आदि लेना वर्जित है, कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विभाग द्वारा निर्धारित मानकों एवं मदो से इतर शुल्क वसूली नहीं की जायेगी।

(संगीता सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात
28-2-19

पृ0सं0/बेसिक–मान्यता/ /2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–शिक्षा निदेशक (बे0) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2–सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कानपुर मण्डल, कानपुर।
4–जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात।
5–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात।
6–जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात।
7– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि आवश्यक शर्तों के परिपूर्ण करने की दशा में ही विद्यालय संचालित कराया जाये इसकी पुष्टि निरीक्षण कर करें बिना शर्तें परिपूर्ण किये विद्यालय संचालन अवैधानिक होगा और इसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात